

गयी हरी घास/सेवण/धामण घास/बरुठ को संस्थान के बाहर ले जाने से पहले प्रभारी फार्म से गेट-पास लेना अनिवार्य है।

10. हरी घास/सेवण/धामण घास/बरुठ की कटाई, भण्डारण, रख-रखाव, परिवहन एवं अन्य किसी भी संबंधित कार्य हेतु संस्थान किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करायेगा।
11. किसी भी प्राकृतिक आपदा (वर्षा, आंधी-तूफान, पशु एवं पक्षियों से नुकसान इत्यादि) एवं अन्य किसी भी कारण से हरी घास/सेवण/धामण घास/बरुठ को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी।
14. हरी घास/सेवण/धामण घास/बरुठ की कटाई अनुबंध के कार्य सम्पादन हेतु लगाए जाने वाले श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान एवं उनके प्रति सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों के निर्वहन की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
14. ठेकेदार (सफल बोलीदाता) की बयाना राशि (Earnest Money) का पुर्नभुगतान (Refund) हरी घास/सेवण/धामण घास/बरुठ की कटाई का कार्य पूर्ण होने के पश्चात एवं प्रभारी फार्म द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate) जारी करने पर बैंक खाते में ही किया जायेगा। इस हेतु ठेकेदार को संस्थान द्वारा जारी मूल रसीद (TR-5) को आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
15. अधिकतम बोलीदाता के हक में बोली छोड़ने या न छोड़ने का अधिकार संस्थान के सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं उनका निर्णय ही अंतिम होगा।



सहायक प्रशासनिक अधिकारी



भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
श्री गंगानगर हाईवे, बीछवाल, बीकानेर - 334006
दूरभाष:0151-2250960 एवं 0151-2253123



निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान के फार्म प्रक्षेत्र के रिक्त भू-भाग, सिंचाई नालियों के आस-पास प्रचूर मात्रा में उगी हुई हरी घास/बरुट/सेवण/धामण घास की खुली नीलामी संस्थान के प्रक्षेत्र कार्यालय में दिनांक 08.08.2023 को सुबह 11.00 बजे आयोजित की जावेगी। इस संबंध में विस्तृत नियम एवं शर्तें संस्थान के प्रशासनिक कार्यालय एवं प्रक्षेत्र कार्यालय 10वें कि.मी. का पत्थर, श्री गंगानगर हाईवे, बीछवाल, बीकानेर, के सूचना पट्ट तथा संस्थान की वेब साईट ciah.icar.gov.in एवं CPP Portal पर उपलब्ध है।

-sd-

सहायक प्रशासनिक अधिकारी